मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग.

// अधिसूचना//

भोपाल दिनांक 01/05/2019

फा. कमांक 2277/21–ब(दो) 2019, राज्य शासन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (कमांक 32 सन् 2012) की धारा 32 (1) के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 28 (1) के अंतर्गत पदाभिहित विशेष न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिये, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति विषयक पूर्ववर्ती सभी आदेशों/अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में पदस्थ उप संचालक लोक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारियों के साथ जिलों में पदस्थ 7 वर्ष या उससे अधिक सेवा के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों तथा जिलों में नियुक्त लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजकों को एतद् द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

विशेष लोक अभियोजक के रुप में नियुक्त उप संचालक लोक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारियों की अनुपलब्धता अथवा अनुपस्थिति चाहे वह किसी भी कारण से हो की दशा में ही संबंधित जिला दण्डाधिकारी के निर्देश पर उक्त अधिनियम के अधीन संस्थित प्रकरणों में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या 7 वर्ष या उससे अधिक सेवा के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, द्वारा विशेष लोक अभियोजक के रुप में किया जा सकेगा।

किसी जिले के लिए, उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये विशेष लोक अभियोजकों के मध्य कार्य आवंटन इस आदेश के अध्यधीन रहते हुए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा ।

यह अधिसूचना राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0कमांक 2277/21–ब(दो)/2019,12654
भोपाल,दिनाक 01 /05/2019

प्रतिलिपि:–

(1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, म.प्र.
(2) महाधिवक्ता कार्यालय,मध्यप्रदेश, जबलपुर,अति0 महाधिवक्ता कार्यालय खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर,
(3) समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, म.प्र.
(4) समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, म.प्र.
(5) प्रमुख सचिव,गृह विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.
(6) प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.
(7) प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.
(8) प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.
(9) संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल, म.प्र.
(10) आई0टी0शाखा,विधि विभाग की ओर विभागीय बेवसाइट पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने हेतु,
(11) नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल, म.प्र. की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
13 MAY 2019
Reg No. 837
Receipt Clerk
High Court Jabalpur

(संतोष प्रसाद शुक्ला)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग